POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, पी.एस.ओ., आरएमएस गांधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

हमारे देश में करीब 6 लाख 40 हजार गांव हैं। इन गांवों की ज्यादातर युवा आबादी बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वर्तमान सरकार ने गांवों के हालात सुधारने और युवाओं को गांव में ही रोजगार सुलभ कराने का पुरजोर वादा किया था। लेकिन आज यह एक कही-सुनी बात बनकर रह गई है।

ग्रामीण युवा रोजगार की तलाश में शहरों में भटक रहा है। लेकिन वहां भी उनके लिए रोजगार पाना एक दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। आर्थिक सुधार के नाम पर हुई नोटबंदी और जल्दीबाजी में लाए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल अच्छी साबित नहीं हुई है।

मेरा ही नहीं, देश के ज्यादातर ख्यातनाम अर्थशास्त्रियों का भी यही मानना रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग प्रभावित हुए हैं। नतीजतन जो लोग इनसे जुड़े थे उनके रोजगार पर भी बड़े पैमाने पर आंच आई है। अब धीरे-धीरे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो रोजगार था वह भी खत्म हो रहा है।

ऐसे हालात में केंद्र व राज्य सरकारों को इस समस्या से निजात पाने के लिए गांवों में कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों के विकास, परंपरागत या पैतृक रूप से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने, लधु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने, व्यापारिक माहौल बनाने के साथ-साथ कई अन्य नई संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

स्मार्ट विलेज और स्टार्टअप इस दिशा में कारगर कदम साबित होंगे। ऐसे सभी कदम सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, वरना इनका भी हश्र असफल हुई आदर्श ग्राम योजना जैसा होगा।

बेनामी संपत्ति को किया जा सकता है जब्त

देश में पहली बार वर्ष 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून बनाया गया था। इसमें बेनामी संपत्ति को जब्त करने और उसे सील करने का अधिकार नहीं था। केन्द्र सरकार द्वारा एक नवंबर 2016 को इसमें संशोधन कर बेनामी लेन-देन निषेध अधिनियम लागू किया गया। इसमें बेनामी संपत्ति को जब्त करने और उसे सील करने का अधिकार शामिल किया गया है।

जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि वह संपत्ति जिसमें खरीदने वाले का सीधा नाम नहीं जुड़ा होता है, बेनामी संपत्ति कहलाती है। इसमें जो व्यक्ति संपत्ति का मूल्य चुकाता है, वह कागजों पर अपना नाम नहीं देता, लेकिन संपत्ति के सभी लाभ वह लेता है। बेनामी संपत्ति का मालिक अपने किसी करीबी, रिश्तेदार आदि के नाम से यह खरीद करता है और संपत्ति के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ उस व्यक्ति की आड़ में खुद लेता है। आमतौर पर लोग अपने बच्चों या पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन उसमें आय का स्रोत ज्ञात होता है। आय के स्रोत से अलग कोई शख्स अपने परिजनों के नाम से संपत्ति खरीदता है तो वह बेनामी की श्रेणी में आता है।

यदि कोई अपने पिता के नाम से भी संपत्ति खरीदता है, तो वह बेनामी संपत्ति मानी जाएगी। क्योंकि उसका लाभ वह शख्स लेगा, न कि उसके पिता। नए कानून के तहत बेनामी लेन-देन में 3 से 7 साल की जेल और संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

ब्रेकफास्ट में निकला कीड़ा, एअर इंडिया देगी जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एम.के. मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल ने उपभोक्ता मंच, इलाहाबाद में एअर इंडिया के खिलाफ परिवाद दायर किया। उन्होंने मंच को बताया कि वह 8 जून, 2008 को एअर इंडिया के हवाई जहाज द्वारा कोलकाता से अंडमान निकोबार प्रान्त की राजधानी पोर्ट ब्लेयर गई थीं। एअर इंडिया अपने यात्री को रास्ते में खाना, नाश्ता और पानी देता है। उसका चार्ज टिकट में शामिल रहता है। यात्रा के दौरान उन्हें नाश्ते के रूप में दक्षिण भारतीय व्यंजन दिया गया। इस नाश्ते में एक कीड़ा निकला। इस पर उन्होंने ऐतराज जताया। मांगने के बाद भी उन्हें दोबारा खाने को कुछ भी नहीं दिया गया, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने एअर इंडिया को सेवा का दोषी माना और आदेश दिया कि वह डॉ. नीलम मित्तल को हुई मानसिक पीड़ा की एवज में एक लाख रुपए बतौर जुर्माना अदा करें। साथ ही मुकदमा खर्च के पांच हजार रुपए भी अलग से दिए जाएं। जुर्माना राशि दो माह के अंदर नहीं देने पर आठ प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देना होगा।

जिला उपभोक्ता मंचों की रफ्तार धीमी

प्रदेश में अपने अधिकारों के प्रति उपभोक्ता तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत दिलाने के मामले में जिलों के उपभोक्ता मंचों की रफ्तार सुस्त है। नियमों के हिसाब से 90 दिन में उपभोक्ता को राहत मिल जानी चाहिए, लेकिन कई मामलों में तो सालों से प्रकरण पेंडिंग चल रहे हैं।

जयपुर में 12 हजार 635 उपभोक्ताओं को मामलों के निस्तारण का इंतजार है। वहीं अलवर में 5046, जोधपुर में 2779 और भरतपुर में 2290 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। प्रदेश के 37 जिला मंचों में 9 अध्यक्ष और 17 सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। वर्तमान में काम कर रहे 28 अध्यक्ष और 57 सदस्यों के बावजूद उपभोक्ता मंचों में 45 हजार से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं।

एक जिला उपभोक्ता मंच में एक अध्यक्ष के साथ दो सदस्य होते हैं। मामलों के जल्दी निस्तारण के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उन आदेशों की भी पालना नहीं हो रही है, जिनमें बकाया मामलों की संख्या कम होने पर वहां के अध्यक्ष और सदस्यों को दूसरे जिला मंचों में लगाया जाता है।

प्रदेश के राज्य उपभोक्ता आयोग में ही 6249 मामले बकाया चल रहे हैं। प्रदेश में सबसे कम पेंडिंग मामले डूंगरपुर और झालावाड़ जिलों में हैं।

जिला मंचों की होगी ग्रेडिंग

प्रदेश में उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक संजय झाला के अनुसार उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सके इसके लिए जिला मंचों में लंबित मामलों की निगरानी और समयबद्ध निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी तीन माह में एक बार प्रकरणों की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगी। इनके काम के आधार पर जिला मंचों को ग्रेडिंग भी दी जाएगी।

ग्राहक बनेंगे ताकतवर-मोदी

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उनके हितों से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार नया कानून ला रही है। जिससे उनके अधिकारों को और मजबूत किया जा सकेगा और उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर गुमराह करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के यहां आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने के बाद केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना बेपटरी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बावजूद प्रदेश में ग्रामीण विकास महकमा गरीबों के लिए आवास बनाने में निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे है। जबकि राज्य सरकार ने सभी जिलों को पिछले वर्ष के बकाया आवासों को अक्टूबर माह तक पूरा करने के निर्देश जारी किए थे।

बावजूद इसके सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 में निर्धारित 2.50 लाख आवासों में से अब तक सिर्फ 45 हजार 273 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं, जो लक्ष्यों की तुलना में मात्र 18 प्रतिशत है। गौरतलब यह भी है कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 का 2.13 लाख आवास बनाने का लक्ष्य पूरा बकाया है।

गोदामों में सड़ गया 7600 टन खाद!

सहकारिता विभाग द्वारा राजफैड कोटा के माध्यम से करीब एक साल पहले अग्रिम भण्डारण योजना के तहत रखा गया 7600 टन यूरिया व डीएसपी खाद सड़कर खराब हो गया। इसे राजफैड ने गोदामों से निकाल कर संभाग की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इसे बेचने का दबाव बनाकर भिजवा दिया।

अब यह खाद संभाग की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों में पड़ा है। गोदामों में रखे इस खाद के ढेले बन गए। ढेले बने होने से इसे किसानों ने खरीदने से मना कर दिया है।

डाक विभाग बनाएगा आधार कार्ड

आम आदमी के लिए जरूरी बन चुके आधार कार्ड अब डाकघर के जरिए ही बनेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर वित्त मंत्रालय ने देशभर में डाकघर विभाग के 14 हजार 30 डाकघरों में आधार नामांकन व अपडेट सेंटर खोलने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है।

बजट मिलने के बाद डाक विभाग ने देशभर में आधार केंद्र खोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के 610 डाकघरों में आधार कार्ड बनवाने तथा अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

गांवों में सस्ता मिलेगा ब्रॉडबैंड

देश के एक लाख ग्राम पंचायतों में अगले महीने से ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र के दूरसंचार ऑपरेटर भी सेवाएं देंगे। ग्रामीणों को 75 फीसदी तक सस्ता ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा।

टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगी। अभी तक देश के 48 हजार से ज्यादा गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू हो गई है और 75 हजार से ज्यादा गांवों में सर्विस शुरू करने तैयारी हो चुकी है। भारत नेट परियोजना की कुल लागत 45 हजार करोड़ रुपए है।

महिला सुरक्षा में राजस्थान पिछड़ा

महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजस्थान 22वें पायदान पर है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह सच सामने आया है।

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश उन राज्यों की सूची में शुमार है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।

यह अध्ययन लिंगभेद सूचकांक के जरिए गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों तथा महिला सुरक्षा व संरक्षण जैसे मानकों के आधार पर किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट भी इस सच्चाई को उजागर करती है। इसके अनुसार महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान देश के सबसे खराब चार राज्यों में शामिल है।

आपके हक के दर्शक-हकदर्शक

हमारी सरकारें आमजन, खासतौर से कमजोर व जरूरतमंद वर्ग के लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाती हैं। लेकिन अमूनन रूप से देखने में आया है कि ज्यादातर लोगों को इन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती या संबंधित विभागों में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करने का उन्हें समय नहीं मिल पाता। नतीजतन वे इन योजनाओं के लाभ नहीं उठा पाते। अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी से उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ता है।

ऐसे लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनकी ऐसी हर समस्या को दूर करने, उन्हें पूरी जानकारी देने एवं मार्गदर्शन करने में 'हकदर्शक' संस्था हर तरह से मदद करती है।

आप अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं।

हकदर्शक, 22 ए, भगत वाटिका, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान-302007, मो: 7073888284, वेबसाइट: www.haqdarshak.com

गांव बनेंगे 'स्मार्ट विलेज'

स्मार्ट विलेज योजना के तहत प्रदेश में गांवों के चयन का काम पूरा कर लिया गया है। अब चयनित गांवों के विकास का खाका तैयार होगा। प्रदेश के तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले 3169 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा।

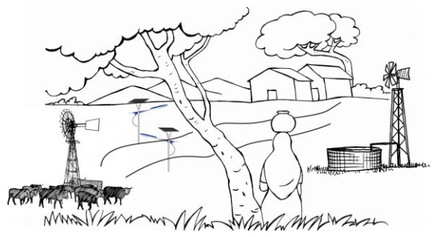

समग्र विकास के लिए इन गांवों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन गांवों में परंपरागत एवं सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, कचरा प्रबंधन, वाई-फाई नेटवर्क, पार्क व खेल मैदान, चारागाह, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबों के आवास, शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता जैसे 18 कार्य संबंधित विभागों द्वारा मिलकर करवाए जाएंगे।

भ्रष्टाचार है प्रजातंत्र के लिए खतरा

कुशासन और भ्रष्टाचार साथ-साथ चलता है। हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है तो सुशासन की अवधारणा को लागू करना होगा। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को दूर करने का सशक्त माध्यम है।

केन्द्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने यह विचार राजस्थान पुलिस अकादमी व ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के तत्वावधान में आरटीआई पर आयोजित व्याख्यान में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह विश्व का चौथा सबसे सशक्त कानून है और कार्य में पारदर्शिता लाने का कारगर उपाय है।

पशुओं को मिलेगी बेहतर चिकित्सा

राज्य सरकार ने प्रदेश में 350 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले हैं। इससे पशुओं को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बजट घोषणा के मुताबिक राज्य में कुल 4 हजार पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से 618 पूर्व में खोले जाने साथ हाल ही में 350 नए केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार तिवारी, 'गदर', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित। 'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485